

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल एवं एन ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा0 सं0 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011-12/पार्ट फाइल/954-971 दिनांक : 02/07/2024

आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि दिल्ली में स्थित आबकारी विभाग के सभी एल-1, एल1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-14, एल-18, एल-18एफ, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35 लाइसेंसधारियों तथा अफीम विक्रेताओं द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित तिथियों को "शुष्क दिवस" (ड्राइ डे) माना जाएगा :-

क्र0सं0	अवसर	तिथि	दिन
1.	मुहर्रम	17.07.2024	बुधवार
2.	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2024	गुरुवार
3.	जन्माष्टमी	26.08.2024	सोमवार
4.	मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन)	16.09.2024	सोमवार

उपरोक्त के अतिरिक्त, सभी एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, पी-10 एवं पी-13 लाइसेंसधारी केवल निम्नलिखित दिन को शुष्क दिवस के रूप में मानेंगे:-

क्र0सं0	अवसर	तिथि	दिन
1.	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2024	गुरुवार

लाइसेंसधारी उपरोक्त सूची में किए गए किसी भी परिवर्तन के कारण किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

एल-15 एवं एल-15एफ लाइसेंस वाले होटलों के मामले में, ऊपर उल्लिखित शुष्क दिवसों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होटल में ठहरने वालों के लिए शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।

सभी लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसरों के किसी विशिष्ट स्थान पर इस आदेश को प्रदर्शित करना होगा।

लाइसेंसधारी का व्यावसायिक परिसर शुष्क दिवस पर बंद रखा जाएगा।

कृष्ण मोहन
11/7/24
(कृष्ण मोहन उप्पु)
आयुक्त (आबकारी)

प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
7. मंडलीय आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
8. सूचना एवं प्रचार निदेशक को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
9. अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. उपायुक्त (कर/आबकारी), आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।
11. ए0सी0 (ईएससीआईएमएस) को आईटी के माध्यम से इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
12. ए0सी0 (परमिट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।
14. समस्त शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस आदेश को अपने नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसधारियों को प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
15. समस्त आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षकों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
16. प्रबंध निदेशक, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और प्रशासक, डीसीसीडब्ल्यूएस।
17. समस्त लाइसेंसधारी।
18. गार्ड फाइल।

जितेंद्र अग्रवाल
(जितेंद्र अग्रवाल) 1/7/24
उपायुक्त (आबकारी)